88

20.6.18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत एड सिणधरी में पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। जो शामिल मिसल हों। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया। और शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

व लोक अदालत अभियान— न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत/कोर्ट केम्प—अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत एड सिणधरी)

पीठासीन अधिकारी—श्री अंजुम ताहिर सम्मा ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 88/2018

प्रार्थीगण

1.खंगाराराम पुत्र प्रभूराम

2. वगताराम पुत्र प्रभूराम

जाति जाट

निवासी एड सिणधरी

तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1.शिवजीराम पुत्र बालकाराम

2.रणछाराम पुत्र मानाराम

3.पेमाराम पुत्र मोटाराम

4.मांगाराम पुत्र मोटाराम

5.डाउराम पुत्र मोटाराम

6.नारणाराम पुत्र भेराराम

7.मूलाराम पुत्र मोतीराम

8. रामाराम पुत्र शेराराम

जाति जाट निवासी एड सिणधरी

तहसील सिणधरी

9.मैनेजर एस.बी.आई शाखा सिणधरी

10.तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते—विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

आदेश

दिनांक—20.6.2018

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम एड सिणघरी पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 160 रकबा 22—11 बीधा व खसरा संख्या 160/4 रकबा 22—10 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

ाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम एड सिणघरी पटवार क्षेत्र एड सिणधरी हसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 160 रकबा 22–11 बीधा व खसरा संख्या 160/4 रकबा 22–10 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्रापत हुए। लेकिन विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम एड सिणघरी पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 160 रकबा 22–11 बीधा व खसरा संख्या 160/4 रकबा 22–10 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम एड सिणघरी पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 160 रकबा 22–11 बीधा व खसरा संख्या 160/4 रकबा 22–10 बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावें।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सीमाज्ञान फर्द दिनांक 13.4.2018 एवं सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमें पाया ग्राम एड सिणघरी पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 160 रकबा 22–11 बीधा व खसरा संख्या 160/4 रकबा 22–10 बीधा के प्रार्थीगण रिकार्डड खातेदार है। जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2072 से 2075 से प्रमाणित होता है। एवं सीमाज्ञान रिर्पोर्ट दिनांक 13.4.2018 में भी सीमाओं को लेकर मौके पर विवाद होना का उल्लेख है। इस कारण प्रार्थीगण काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्राथीगण बावजूद नोटिस तामील होने के उपरांत भी हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

बन्दी किये जाने में कोई आपति नहीं होगीं। ऐसी सूरत में उक्त भूमि की नेखमबन्दी ये जाने में कोई आपति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम एड सिणघरी पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 160 रकबा 22–11 बीधा व खसरा संख्या 160/4 रकबा 22–10 बीधा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अंजुम ताहिर सम्मा)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 20/6/18 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner